कार्यालय आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश।

Email-samiticamp@gmail.com
17 न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ।

पत्रांक–　　/सी/समिति/लखनऊ/दिनांक　　2017

1–समस्त उप गन्ना आयुक्त,
2–समस्त जिला गन्ना अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः–प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों की दुकानों का आवंटन एवं किराया निर्धारण नीति।

प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों की दुकानों के आवंटन के विषय पर दिनांक 29–08–2017 को सम्पन्न बैठक में यह तथ्य प्रकाश में लाया गया कि गन्ना समितियों की दुकानों का आवंटन मात्र लाटरी के आधार पर तथा कहीं–कहीं पर बिना किसी आधार पर किया गया है। इस प्रकार किए गए आवंटन के कारण कई स्थानों से अवैध आवंटन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त अनियमित दुकान आवंटन के कारण दुकान मालिक द्वारा दुकान का किराया भी नियमित रूप निर्धारित दर पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार के कृत्यों से गन्ना समितियों को आर्थिक क्षति पहुँच रही है।

अतः उपर्युक्त अनियमितताओं/समस्याओं के निराकरण हेतु प्रदेश की कतिपय सहकारी गन्ना विकास समितियों द्वारा निर्मित दुकानों के आवंटन एवं किराया निर्धारण की नीति बनाये जाने की नितान्त आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में गन्ना समिति दुकान आवंटन एवं किराया निर्धारण नीति में निम्नानुसार अंकित बिन्दुओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए :–

गन्ना समिति दुकान आवंटन नीति

1. समिति की समस्त दुकानों का नये सिरे से आवंटन किया जाए।
2. दुकान आवंटन के समय विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लॉटरी प्रक्रिया के अनुसार दुकानों का आवंटन किया जाए। लॉटरी की प्रक्रिया खुले एवं जनसुगम स्थान पर होनी चाहिए तथा लॉटरी के उपरान्त उसी समय आवंटन पत्र निर्गत किया जाए।
3. दुकान आवंटन के समय एक वर्ष के किराये की धनराशि के समतुल्य समिति के नाम धरोहर राशि केवल डिमांड ड्रफ्ट के रूप में जमा करायी जाएगी, किरायेदार द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता किये जाने पर नियमानुसार धरोहर राशि जब्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

4. दुकान आवंटन हेतु आवेदन के साथ धरोहर राशि जमा हो जाने के उपरान्त ही आवेदक दुकान आवंटन की लाटरी प्रक्रिया हेतु पात्र माना जायेगा। धरोहर राशि जमा न होने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।
5. दुकान आवंटन हेतु विज्ञापन जनपद में सर्वाधिक सर्कुलेटेड किन्हीं दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाए।
6. दुकान आवंटन हेतु विज्ञापन जारी करते समय दुकान का क्षेत्रफल, दुकान का प्रतिमाह किराया एवं दुकान आवंटन हेतु धरोहर राशि आदि तथ्यों का उल्लेख विज्ञापन में अनिवार्य रूप से किया जाये। आवेदक को यह पूर्ण जानकारी करायी जाए कि दुकान आवंटन हेतु उसे कितनी धरोहर राशि जमा करनी होगी तथा दुकान का प्रतिमाह कितना किराया समिति में जमा करना पड़ेगा।
7. दुकान आवंटन होने के उपरान्त समिति सचिव एवं आवंटी के मध्य रू0 100 के स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध किया जायेगा। यह अनुबन्ध प्रतिवर्ष 01 अप्रैल को नवीकृत किया जायेगा, जिसमें किराये की दर में कम से कम 10 प्रतिशत की वृद्धि अथ्वा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित की गई नई सर्किल किराया दरें, जो भी अधिक हो, के अनुसार किराये में वृद्धि की जायेगी।
8. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आवंटित दुकान को किरायेदार किसी अन्य किरायेदार को किराये पर किसी भी दशा में नहीं दे सकता है। यदि ऐसा पाया जाता है तो दुकान का आवंटन निरस्त करते हुए धरोहर राशि जब्त कर लिया जाय।

गन्ना समिति दुकान किराया नीति

1. समिति की समस्त दुकानों के किराये का निर्धारण नये सिरे से किया जाए।
2. किराया निर्धारण के समय जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र हेतु निर्धारित प्रतिवर्ग फीट सर्किल किराया दर के आधार पर ही दुकान किराया का निर्धारण किया जायेगा।
3. दुकानों के किराये को समय–समय पर जिलाधिकारी द्वारा परिवर्तित/ संशोधित किराये की दरों के अनुसार परिवर्तित/संशोधित किया जायेगा। इस कार्य की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित सचिव एवं समिति पटल प्रभारी की होगी।
4. प्रत्येक आवंटी को प्रति माह की 01 तारीख को तथा अधिकतम 05 तारीख तक किराये की राशि का भुगतान समिति को करना होगा। 05 तारीख के पश्चात किराया भुगतान करने वाले आवंटियों पर समिति की प्रबन्ध कमेटी द्वारा नियमानुसार पेनाल्टी लगाने हेतु निर्णय किया जायेगा तथा डिफाल्टर आवंटियों को नियमानुसार किराया देने हेतु तीन नोटिसे जारी करने के उपरान्त धरोहर राशि जब्त करने एवं दुकान आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रशासकीय व्यवस्था

1. लॉटरी की प्रक्रिया का सम्पादन कराये जाने हेतु निम्नानुसार गठित कमेटी निर्णय लेगी :–

सम्बन्धित उपजिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी	–	सदस्य

सम्बन्धित, अध्यक्ष, गन्ना समिति – सदस्य
सम्बन्धित सचिव, गन्ना समिति – सदस्य

2. दुकान आवंटन के पश्चात समय–समय पर यथावश्यकता समिति दुकानों की मरम्मत, रंगाई–पुताई एवं अनुरक्षण की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित सचिव की होगी।
3. दुकान किराया एवं धरोहर राशि से प्राप्त धनराशि हेतु गन्ना समिति, बैंक में एक पृथक खाता खोलेगी एवं दुकानों से सम्बन्धित समस्त लेन–देन इसी बैंक खाते से करेगी।
4. समिति की दुकानों के किसी भी विवाद इत्यादि के सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही सम्बन्धित सचिव के स्तर से नियमानुसार सम्पादित करायी जायेगी।

अतः अपने परिक्षेत्र की समस्त ऐसी सहकारी गन्ना विकास समितियों जिनके पार दुकानें हैं उन दुकानों के आवंटन एवं किराया निर्धारण नीति को उपर्युक्तानुसार निर्गत किये जा रहे निर्देशों का मंशानुरूप अनुपालन सुनिश्चित करायें। उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में लापरवाही क्षम्य नही होगी।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
आयुक्त, गन्ना एवं चीनी/निबन्धक,
सहकारी गन्ना/चीनी मिल समितियां, उ.प्र.।

पत्रांक 747 **/सी/समिति/लखनऊ/दिनांक** 15-09- **,2017**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त (गन्ना उत्पादक मण्डल), उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी (गन्ना उत्पादक जनपद), उत्तर प्रदेश।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
आयुक्त, गन्ना एवं चीनी/निबन्धक,
सहकारी गन्ना/चीनी मिल समितियां, उ.प्र.।